संख्या-9/2015-सा-3-575 /दस-2015-10 एल0सी0/2015

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 17 जून, 2015

विषयः- उ0प्र0 पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली 1961 के अन्तर्गत स्वीकृत असाधारण पेंशन की अवधि की समाप्ति के उपरान्त पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद को सम्बोधित शासन के पत्र संख्या-सा-3-435/दस-2007, दिनॉक 07 मई, 2007 जिसमें असाधारण पेंशन की समाप्ति पर पारिवारिक पेंशन की गणना से संबंधित संलग्न उदाहरण-2 की पुष्टि करते हुए पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है, के सदंर्भ में कतिपय मृतक आश्रित विधवाओं द्वारा दिये गये आवेदन-पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त अवगत कराना है कि उ0प्र0 पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली-1961 के नियम-10 की अनुसूची में असाधारण पेंशन के पश्चात् साधारण पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया दी गयी है, जिसके अनुसार विधवा को मिलने वाली असाधारण पेंशन की अवधि समाप्त हो जाने पर पारिवारिक पेंशन उस धनराशि के बराबर हो जायेगी जो मृत पुलिस

--2/-

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कर्मचारी यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, तो तत्समय लागू पेंशन नियमों के अनुसार पाता अर्थात् उसकी पेंशन अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर होगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-सा-3-435/दस-2007, दिनॉक 07 मई, 2007 के साथ संलग्न उदाहरण उपर्युक्त व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। अत: उक्त उदाहरण को सदैव से विलोपित समझा जाये तथा पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली की अनुसूची-10 की व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाये।

3- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनॉक 07-05-2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या- 9/2015-सा-3-575 (1)/दस-2015, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2)- गृह(पुलिस)अनुभाग-6

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।